न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:–11/25

1. रामस्वरूप पुत्र जियालाल, जाति मीना, निवासी मिलकपुर, तहसील बयाना, हाल निवासी ए/187 हाउसिंग बोर्ड पीछे कृष्णा नगर भरतपुर
2. रामखिलाडी पुत्र जियालाल, जाति मीना, निवासी मिलकपुर, तहसील बयाना, जिला भरतपुर
3. मोहरसिंह पुत्र रामधन जाति मीना, निवासी मिलकपुर, तहसील बयाना, जिला भरतपुर
4. हरीसिंह पुत्र रामधन जाति मीना, निवासी मिलकपुर, तहसील बयाना, जिला भरतपुर
5. अतरसिंह पुत्र रामधन जाति मीना, निवासी मिलकपुर, तहसील बयाना, जिला भरतपुर
6. रामोदेवी पुत्री रामधन जाति मीना, निवासी मिलकपुर, तहसील बयाना, जिला भरतपुर

............प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना, जिला भरतपुर

............अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय   दिनांकः– 12/1/2026

उपस्थितिः– श्री बृजमोहन गुप्ता एड0 प्रार्थीगण

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मिलकपुर भू अभिलेख निरीक्षक मिलकपुर तहसील बयाना भरतपुर में आराजी खसरा नम्बर 943 रकबा 0.05, व 944 रकबा 0.02 हैक्ट. स्थित है जो कि प्रार्थीगण की हक व अधिकार व कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। प्रार्थीयान द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी का न्यायालय तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर के आदेश क्रमांक/भू.अ./सीमाज्ञान/23/1614 एवं एलआर/23/2307 दिनांक 26.05.2023 एवं 27.06.2023 की अनुपालना में दिनांक 04.06.2023 व 03.07.2023 को नियमानुसार सीमाज्ञान की कार्यवाही की जा चुकी है। प्रार्थीयान की खातेदारी आराजी पर किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं है प्रार्थी नियमानुसार सीमाज्ञान रिपोर्ट के मुताबिक पत्थरगढी करवाना चाहते है जिससे भविष्य में राजस्व सीमाओं को लेकर कोई वाद विवाद उत्पन्न न हो। प्रार्थी के पडोसी खातेदारों के मध्य कोई वाद विवाद नहीं है। प्रार्थी को हक व अधिकार हांसिल है कि अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवायें। प्रार्थी नियमानुसार राजकोष में पत्थरगढी बाबत शुल्क जमा करवाने हेतु तैयार है। अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किये जाने, राजस्व ग्राम मिलकपुर तहसील बयाना में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 943 रकबा 0.05, व 944 रकबा 0.02 हैक्ट.की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार बयाना से उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बयाना ने उक्त प्रकरण में अपनी रिपोर्ट पत्रांक/LR/25/4176 दिनांक 25.11.2025 से न्यायालय हाजा प्रस्तुत की। तहसीलदार बयाना ने अपनी उक्त रिपोर्ट में अंकित किया है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2076–74 (वर्ष 2019) से स्थायी में ग्राम मिलकपुर के खाता संख्या 440 में खसरा नम्बर 943 रकबा 0.05, व 944 रकबा 0.02 हैक्ट. किता 02 कुल रकबा 0.07 हैक्ट. में खातेदार अतरसिंह पुत्र रामधन हिस्सा 1/12 जाति मैना सा.देह, मौहरसिंह पुत्र रामधन

उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

हिस्सा 1/12 जाति मैना सा.देह, रामखिलाडी पुत्र जीयालाल जाति मैना सा.देह, रामस्वरूप पुत्र जीयालाल हिस्सा 1/3 जाति मैना सा.देह, रामोदेवी पुत्री रामधन हिस्सा 1/12 जाति मैना सा.देह, हरीसिंह पुत्र रामधन हिस्सा 1/12 जाति मैना सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मौके पर 943 व 944 एक दूसरे से सटेमा है तथा पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 943 की पूर्वी मेड (सीमा) के आधे भाग पर पक्का निर्माण बना हुआ है, पश्चिमी दिशा में पश्चिमी मेड पर पूर्व से ही (पहले से ही) पक्की दीवारे बनी हुई है, खसरा नम्बर 943 तथा 944 के दक्षिणी दिशा में आम रास्ता चालू है, उत्तर दिशा खातेदारी भूमि स्थित है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण को एकपक्षीय सुना। एड0 प्रार्थीगण ने पत्रावली में अंकित तथ्यों एवं पूर्व सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 04.06.2023 का अवलोकन कराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2073-76 ग्राम मिलकपुर, मौका पर्चा सीमाज्ञान मिलकपुर दिनांक 04.06.2023, मौका पर्चा सीमाज्ञान दिनांक 03.07.2023 ग्राम मिलकपुर, तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट पत्रांक/LR/25/4176 दिनांक 25.11.2025 का गहनता से अवलोकन किया। उक्त आवेदित आराजी के सम्बन्ध में सीमाज्ञान दिनांक 04.06.2023 के मौका पर्चा अवलोकन से ज्ञात होता है कि आराजी खसरा नम्बर 943 रकबा 0.05, मौके पर नक्शासीट में अंकित मुस्तकिल बिन्दू आराजी खसरा नम्बर 935 गै.मु चाह व खसरा नम्बर 946 गै.मु चाह से जरीब चलाकर खसरा नम्बर 943 खसरा नम्बर 0.05 के चौतरफा निशानात कायम कराये गये। सीमाज्ञान में मौके पर कोई विवाद नहीं हुआ है। पडौसी खातेदारान के हस्ताक्षर उक्त मौका पर्चा पर है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पत्थरगढी निम्न आदेशानुसार स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 128 भू0 राजस्व अधिनियम (पत्थरगढी) स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बयाना को आदेशित किया जाता है कि खसरा नम्बर 943 रकबा 0.05, व 944 रकबा 0.02 हैक्ट. किता 02 कुल रकबा 0.07 हैक्ट. वाके ग्राम मिलकपुर, तहसील बयाना की पत्थरगढी करावें। आम रास्ता नहीं रोके। पत्थरगढी बाबत खर्चा प्रार्थीगण द्वारा वहन किया जावेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार बयाना को पालनार्थ भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद-तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12/01/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

न्यायालय उप जिला कलक्टर बयाना (भरतपुर)